न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, फतेहपुर

उपस्थितः राम किशोर III .....एच०जे०एस०

जे०ओ० कोड–UP6055

दाण्डिक अपील संख्या–51 सन् 2023

UPFT010056902023

राहुल सिंह उम्र लगभग 49 वर्ष पुत्र स्व० वी.एन. सिंह
निवासी–57/52 बी ब्लॉक, श्याम नगर, कानपुर नगर.

.....अपीलार्थी/आवेदक

प्रति

1. रश्मि सिंह पत्नी राहुल सिंह
   निवासिनी–132/99A कमला नगर, कलेक्टरगंज, थाना कोतवाली, फतहेपुर।
2. राज्य उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षीगण/प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. यह आपराधिक अपील अपीलार्थी राहुल सिंह की ओर से विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित न्यायालय), फतेहपुर द्वारा वाद संख्या–1349/2014 रश्मि सिंह बनाम राहुल आदि अन्तर्गत धारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरिम भरण पोषण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी/अपीलार्थी राहुल सिंह को आदेशित किया कि वह आवेदिका रश्मि सिंह की पुत्री रक्षिता सिंह की पढ़ाई व परवरिश हेतु अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि 17.09.2016 से प्रत्येक माह की दस तारीख को उसके बालिग होने तक 4,000/– रुपये देना सुनिश्चित् करे।

2. अपीलार्थी की ओर से दाखिल अपील में संक्षेप में कहा गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 गलत व गैर–कानूनी और यह ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट और अलग–अलग माननीय हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए न्यायिक सिद्धांतों पर विचार नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने रजनीश बनाम नेहा दाणडिक अपील नंबर–730/2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.01.2022 को तय फॉर्मेट में एसेट्स और लायबिलिटीज के डिस्क्लोजर का एफिडेविट फाइल किया। रेस्पोंडेंट ने जानबूझकर और गलत इरादे से दिनांक 14.12.2021 को एक

Digitally signed by RAM KISHOR
Date: 2026.08.03 16:09:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

झूंठा एफिडेविट फाइल किया जो तय फॉर्मेट में नहीं था। न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर गलती की कि रेस्पोंडेंट द्वारा फाइल किया गया एफिडेविट तय फॉर्मेट में नहीं था। दिनांक 10.04.2023 को अपीलकर्ता दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के साथ धारा 340 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की। न्यायालय ने उस एप्लीकेशन पर फैसला न करके और जल्दबाजी में अंतरिम मेंटेनेंस पर फैसला देकर गलती की। सैयद नाज़िम हुसैन बनाम एडीशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट और दूसरे 2002 के मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि "मेरे हिसाब से, अगर पेंडिंग केस में कोई एप्लीकेशन दी जाती है जिसमें कोर्ट को यह बताया जाता है कि ऐसी कार्रवाई में कोई झूंठा सबूत फाइल किया गया है या बनाया गया है, तो कोर्ट को आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले या और सबूत रिकॉर्ड करने से पहले उस एप्लीकेशन का निपटारा कर देना चाहिए"। मेंटेनेंस एप्लीकेशन पर फैसला करने के लिए एफिडेविट ही आधार है। कोर्ट को अंतरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन पर फैसला देने से पहले धारा 340 के तहत एप्लीकेशन पर फैसला करना था। न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा फाइल किए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर विचार न करके गलती की। अपीलार्थी ने दिनांक 05.02.2022 को रेस्पोंडेंट के एसेट्स और लायबिलिटी एफिडेविट का जवाब फाइल किया। दूसरी तरफ, रेस्पोंडेंट ने अपीलकर्ता के दिनांक 01.01.2022 के एसेट्स और लायबिलिटी एफिडेविट का जवाब कभी नहीं दिया। इससे पता चलता है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने ऊपर दिए गए एफिडेविट में दी गई बात मानी है। न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी अपनी बेटी के प्रति अपनी लायबिलिटी पूरी कर रहा है, जिसके लिए वह हर साल 16,140 रुपये के प्रीमियम पर 7,75,000 रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दे रहा है। अपीलार्थी ने अपने ऊपर दिए गए एफिडेविट के सपोर्ट में मेडिकल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट फाइल किया। न्यायालय अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई रेस्पोंडेंट की ITR कॉपी (2019–20) को देखने में ध्यान नहीं दिया, जिसमें रेस्पोंडेंट की सैलरी 4,65,230 रुपये बताई गई है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में काफी विरोधाभास हैं। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 में यह उल्लेख किया गया है कि विपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में गाड़ी का पंजीकरण का डिटेल्स के विवरण की छायाप्रति, उर्सला हार्समैंन स्मारक जनपद चिकित्सालय कानपुर नगर बाह्य रोगी टिकट फेहरिस्त के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अपील करने वाले ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बारे में कभी कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया। अवर न्यायालय द्वारा आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा अपने एफिडेविट डिस्क्लोजर में कथन किया है कि उसकी योग्यता एम.ए. है तथा अपने अंतरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी कोई आमदनी है जबकि सच तो यह है कि उस एप्लीकेशन में रेस्पोंडेंट ने बताया है कि उसकी कोई इनकम नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजनीश बनाम नेहा मामले के ऐतिहासिक फैसले का ज़िक्र किया और कहा कि "जहां कोई पार्टी अलग–अलग कानूनों के तहत मेंटेनेंस के लिए लगातार दावे करती है, तो कोर्ट पिछली कार्रवाई/कार्रवाइयों में दी गई रकम में एडजस्टमेंट या सेट ऑफ करने पर विचार करेगा, जबकि यह तय करेगा कि बाद की कार्रवाई में कोई और रकम दी जानी है या नहीं;" ऊपर बताया गया हिस्सा इस मामले में सही नहीं है क्योंकि मेंटेनेंस से जुड़ी कोई दूसरी कार्रवाई किसी भी कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। विवादित आदेश में ये मुख्य विरोधाभास दिखाते हैं कि विवादित आदेश अनियमित है और इसकी फिर से जांच करने की आवश्यकता है। अपीलार्थी द्वारा याचना की गई है अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 का विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा मामले के तथ्यों को देखते हुए अन्य आदेश पारित किये जाने की कृपा करें।

3. अपीलकर्ता की ओर से लिखित बहस दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि

अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं किया गया है। निर्णयः Rajnish Vs Neha, Criminal Appeal No. 730 of 2020 भरण–पोषण याचिका में प्रत्येक पक्षकार को आय एवं संपत्ति प्रकटीकरण शपथपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।अपीलकर्ता ने 01.01.2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं था। बावजूद इसके, Learned Trial Court ने उस त्रुटिपूर्ण शपथपत्र के आधार पर आदेश पारित कर दिया, जो न्यायसंगत नहीं है। धारा 340 Cr.P.C. का विचार किए बिना निर्णय पारित किया गया। निर्णयः Syed Nazim Husain vs. Addl. Principal Judge, Family Court, 2002 (All HC) यदि झूंठे दस्तावेज अथवा शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हों, तो न्यायालय को उस पर विचार कर निर्णय देना अनिवार्य है, उसके बिना आगे की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। अपीलकर्ता ने दिनांक 10.04.2023 को धारा 340 Cr.P.C. के अंतर्गत झूंठे शपथपत्र के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर न तो कोई आदेश पारित हुआ और न ही उस पर विचार किया गया, जो कि न्याय प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन है। अपीलकर्ता के शपथपत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया। Managing Committee, Shiksha Parishad VS Assistant Registrar Firms, Chits And Societies 2005 (2) AWC 1951 (All) मूल सिद्धांतः यदि शपथपत्र पर कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे स्वीकार किया हुआ तथ्य माना जाता है। अपीलकर्ता ने अपने शपथपत्र दिनांकित 01.01.2022 में वर्णन किया है कि अपीलकर्ता की कोई आमदनी नहीं है जिसे प्रतिवादी ने कोई उत्तर नहीं दिया है जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार माना जाएगा। प्रतिवादी की वास्तविक आय को अनदेखा किया गया। अपीलकर्ता ने उत्तरदात्री की आयकर विवरणी (वर्ष 2018–19 व 2019–20) न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें उसकी वार्षिक आय ₹4,65,230/– स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी शिक्षित है (M.A. English (Allahabad University) B.Ed (Kanpur University), TET, PGDCA, PGJMC एवं PGT शिक्षिका है), विवादित आदेश के पृष्ठ 2 अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि "प्रार्थिनी ने अपनी कोई आमदनी नहीं बताई जबकि उसका ITR मौजूद है तथापि Learned Court ने उन्हें निर्भर/अविकसित मानकर अंतरिम भरण–पोषण प्रदान कर दिया। आदेश में तथ्यात्मक त्रुटियाँ एवं विरोधाभास हैं। क– विवादित आदेश के पृष्ठ 2 अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता ने वाहन पंजीकरण संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, जबकि कोई ऐसा साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ख–विवादित आदेश के पृष्ठ 2 अनुच्छेद 5 में कहा गया कि प्रतिवादी ने अपनी कोई आमदनी नहीं बताई, जबकि उसका ITR मौजूद है। ग–विवादित आदेश के पृष्ठ 3 पर Rajnish Vs Neha में उद्धृत आदेश "Successive maintenance claims" के संबंध में है, जो वर्तमान वाद से कोई संबंध नहीं रत्ता क्योंकि इस वाद में कोई पूर्ववर्ती या समवर्ती भरण–पोषण वाद लंबित नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा पत्नी के लिए मेडिकल बीमा कराया गया है। अपीलकर्ता ने ₹7,75,000/– की मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, जिसकी वार्षिक प्रीमियम ₹16,140/– है। यह दिखाता है कि अपीलकर्ता अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के शपथपत्र पर कोई उत्तर नहीं दिया 05.02.2022 को अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के झूठे शपथपत्र का विरोध किया था, किन्तु प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के 01.01.2022 के शपथपत्र पर कोई उत्तर या खंडन नहीं दिया, जिससे शपथपत्र में वर्णित तथ्य स्वीकृत माने जाने चाहिए थे। Managing Committee, Shiksha Parishad VS Assistant Registrar Firms, Chits And Societies 2005 (2) AWC 1951 (All) यदि शपथपत्र पर कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे स्वीकार किया हुआ तथ्य माना जाता है। अपीलकर्ता पत्नी व पुत्री को साथ रखने हेतु इच्छुक है अपीलकर्ता ने अपने शपथपत्र व लिखित कथनों में यह स्पष्ट

भावनात्मक संबंध बनाए रखने के मूल अधिकार से भी प्रतिवादी ने वंचित कर दिया है, जो न केवल मानवीय दृष्टिकोण से पीड़ादायक है, अपितु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। अपीलकर्ता की वृद्ध एवं असहाय माता की संपूर्ण देखरेख अपीलकर्ता द्वारा की जा रही है। अपीलकर्ता की विधवा माता जी अत्यंत वृद्ध हैं एवं विगत लगभग नौ वर्षों से शारीरिक रूप से पूर्णतः अशक्त हैं। वह बेड रेस्ट पर हैं तथा व्हील चेयर के माध्यम से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उक्त परिस्थिति में अपीलकर्ता न केवल अपनी माता जी का भोजन स्वयं तैयार करता है, अपितु उन्हें स्नान कराना, औषधि देना तथा अन्य समस्त दैनिक कार्यों में भी उनका सहयोग करता है। अपीलकर्ता एकमात्र पुत्र होने के कारण अपीलकर्ता पर न केवल स्वयं के निर्वाह की, बल्कि एक अशक्त वृद्धा माँ की संपूर्ण देखभाल की नैतिक एवं कानूनी जिम्मेदारी है। यह कारक भी भरण–पोषण की निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विचारणीय तत्व है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पूर्णतया उपेक्षित कर दिया गया। अतः याचना किया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 को निरस्त अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों, शपथपत्रों एवं दलीलों पर विधिवत् विचार कर उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. अपील संस्थित होने के उपरान्त विपक्षी जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। विपक्षी संख्या–1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि एवम् तथ्यों के अनुरूप है तथा उक्त आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता कारित नहीं की गयी है।

5. <u>अपीलार्थी व विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा विद्वान अवर न्यायालय से मूल पत्रावली तलब कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 का सम्यक परिशीलन किया गया।</u>

<u>निष्कर्ष</u>

6. मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत अपील अपीलार्थी राहुल सिंह की ओर से विद्वान अवर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरुद्ध अपराध से सम्बन्धित न्यायालय), फतेहपुर द्वारा वाद संख्या–1349/2014 रश्मि सिंह बनाम राहुल आदि अन्तर्गत धारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला फतेहपुर में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरिम भरण पोषण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी/अपीलार्थी राहुल सिंह को आदेशित किया कि वह आवेदिका रश्मि सिंह की पुत्री रक्षिता सिंह की पढ़ाई व परवरिश हेतु अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि 17.09.2016 से प्रत्येक माह की दस तारीख को उसके बालिग होने तक 4,000/– रुपये देना सुनिश्चित् करे।

7. अवर न्यायालय में प्रार्थिनी द्वारा अपने अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि मुकदमा उपरोक्त में विपक्षी/अपीलकर्ता जानबूझकर मुकदमें को लिंगरआन कर रहा है। प्रार्थिनी गरीब महिला है। विपक्षी/अपीलकर्ता मुकदमें में व्यक्तिगत उपस्थित भी नहीं होता है। प्रार्थिनी के एक विपक्षी से बिटिया है, जिसका नाम रक्षिता सिंह है जो इस समय दस वर्ष की है। प्रार्थिनी के पास पैसा न होने के कारण उसकी सही ढंग से पढ़ाई व परिवरिश नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी व बच्ची को मु० क्रमशः 5,000/–रू, 5,000/–रू० प्रतिमाह मिलना न्यायहित में अति आवश्यक है। विपक्षी/अपीलकर्ता प्रेस में नौकरी करता है, जिससे उसको 30,000/–रू० प्रतिमाह कमाता है। प्रार्थिनी की कोई आमदनी नहीं है। प्रार्थिनी व बच्ची को विपक्षी से पांच–पांच हजार रूपये प्रतिमाह अन्तरिम भरण–पोषण हेतु

दिलाये जाने का आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया।

8. विपक्षी/अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थिनी द्वारा उक्त मुकदमा में प्रार्थना पत्र अन्तरिम भरण–पोषण दिनांक 17.09.2016 को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उपरोक्त प्रकरण सुलह समझौता केन्द्र में निस्तारण हेतु चला गया, जिस कारण उपरोक्त मुकदमा की कार्यवाही स्थगित चल रही थी। विपक्षी/अपीलकर्ता को प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम भरण–पोषण के प्रार्थना पत्र की नकल दिनांक 27.11.2018 को प्राप्त हुयी। प्रार्थिनी स्वच्छ हांथो से न्यायालय की शरण में नहीं आई है, बल्कि नितान्त असत्य, बनावटी एवं झूंठे कथनों के आधार पर अपनी आय को छिपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थिनी बिना किसी उचित कारण के विपक्षी संख्या 1 का परित्याग कर अपनी पुत्री के साथ रहकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र केवल विपक्षी संख्या 1 को अनुचित ददाब बनाकर हैरान, परेशान एवं प्रताड़ित करने के दुर्भावना पूर्ण उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जो कि पोषणीय नहीं है एवं न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थिनी उच्च शिक्षा प्राप्त एम.ए. (ENGLISH) बी.एड. है (पी.जी.डी.सी.ए., पी.जे.एम.सी.) एवं प्रार्थिनी रश्मि सिंह वर्ष 2013 में डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर, श्याम नगर जनपद कानपुर नगर में शिक्षण कार्य के साथ–साथ डॉ० वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर में उच्च पद पर पदासीन रही है। वर्तमान समय में प्रार्थिनी टैगोर पब्लिक स्कूल 179–ए, अतरसुइया, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) 211003 में वरिष्ठ अध्यापिका (ENGLISH) (P.G.T) के पद पर सेवारत है, जहां से उन्हें वर्तमान समय में लगभग 45,000/–रूपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा है। प्रार्थिनी द्वारा अपनी उक्त आय को न्यायालय से दुर्भावनापूर्वक छिपाया गया है। विपक्षी/अपीलकर्ता अमर उजाला प्रेस में सेवारत था, किन्तु प्रार्थिनी के प्रताड़ना पूर्ण आचरण एवं व्यवहार एवं अकारण परित्याग कर दिये जाने एवं पत्नी सुख एवं सन्तान सुख से वंचित कर दिये जाने के कारण वह डिप्रेशन में आ गया और अमर उजाला प्रेस में अपनी बेहत्तर सेवाये प्रदान न कर पाने के फलस्वरूप उसे अपनी नौकरी से हांथ धोना पड़ा। विपक्षी संख्या 1 वर्तमान समय में अपनी आजीविका अर्जन हेतु प्रयासरत है, किन्तु परिवार में विपक्षी संख्या 1 की वृद्ध माता वर्तमान समय में लगभग 70 वर्ष की हैं एवं अर्थराटिस, डाइविटीज एवं अन्य वृद्धावस्थाजन्य रोगों से ग्रसित हैं एवं चलने–फिरने में भी असमर्थ रहती है, जिस कारण विपक्षी/अपीलकर्ता जो कि परिवार का अकेला सदस्य है उसे अपनी वृद्ध बीमार मां के लिये भी घर में समय देना पड़ता है। उपरोक्त अभिकथनों, अभिवचनों एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करते हुये प्रार्थिनी/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत् दिलाये जाने अन्तरिम भरण–पोषण विचार योग्य ही नहीं है एवं न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है।

9. प्रार्थिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे अपने एफिडेविड डिस्क्लोजर में कथन किया है कि विपक्षी/अपीलकर्ता राहुल सिंह 50,000/–रू० प्रतिमाह वकालत से व खेती से 50,000/–रू० प्रतिमाह की आय होने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी/अपीलकर्ता की आय के अन्य के बारे में कुछ नहीं कहा है।

10. विपक्षी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में गाडी का पंजीकरण का डिटेल्स के विवरण की छायाप्रति, उर्सला हार्समैन स्मारक, जनपद चिकित्सालय कानपुर नगर, बाह्य रोगी टिकट की छायाप्रति, उत्कर्ष न्योरोसाइकियाट्रिक सेन्टर की छायाप्रति, महिला मेडिकल स्टोर कानपुर रसीद 8 अदद की छायाप्रति, कानपुर नगर निगम सामान्यकर भुगतान रसीद की छायाप्रति, जल कल विभाग, नगर निगम कानपुर रसीद की छायाप्रति के साथ स्वयं का व विमला सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त डा० वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन

सेन्टर, श्याम नगर, जनपद कानपुर नगर के समस्त स्टाफ के साथ प्रार्थिनी श्रीमती रश्मि सिंह की छायाप्रति, OUR GUIDING STARS की लिस्ट में श्रीमती रश्मि सिंह का नाम ENGLISH कालम संख्या 12 में अंकित है की छायाप्रति, प्रार्थिनी श्रीमती रश्मि सिंह के सर्विस डिटेल्स की फोटो कापी, प्रार्थिनी को आई०एस०सी० 2011 अम्जाननर नियुक्त की छायाप्रति, प्रार्थिनी रश्मि सिंह एम०ए० (ENGLISH) बी०एड० का नाम फोटो सहित अंकित है जिसकी फोटो कापी, प्रार्थिनी रश्मि सिंह वर्तमान समय में टैगोर पब्लिक स्कूल 179–ए अतरसुइया, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) 211003 में सेवारत होने का प्रमाण स्वरूप लिस्ट आफ टीचिंग एवं नोन टीचिक स्टाफ की लिस्ट, जिसमें स्टाफ मेम्बर, पद, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, ज्वाइनिंग तिथि आदि अंकित है की फोटो कापी एवं समझौता पत्र दिनांकित 07.12.2017 फेहरिस्त के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

11. मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी विपक्षी राहुल सिंह की विवाहित पत्नी है। विपक्षी पति व प्रार्थिनी के संसर्ग से पुत्री रक्षिता सिंह का जन्म हुआ। स्पष्ट है कि वर्तमान समय में प्रार्थिनी विपक्षी/अपीलकर्ता से अलग रह रही है। प्रार्थिनी द्वारा अपने एफिडेविड डिस्क्लोजर में कथन किया है कि उसकी योग्यता एम०ए० है तथा अपने अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी कोई आमदनी है। उसके पास पैसा न होने के कारण उसकी पुत्री का सही ढंग से पढ़ाई व परिवरिश नहीं हो पा रही है। विपक्षी/अपीलकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी उब शिक्षा प्राप्त एम.ए. (ENGLISH) बी.एड. है (पी.जी.डी.सी.ए., पी.जे.एम.सी.) एवं प्रार्थिनी रश्मि सिंह वर्ष 2013 में डा० वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर, श्याम नगर जनपद कानपुर नगर में शिक्षण कार्य के साथ–साथ डा० वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर में उच्च पद पर पदासीन रही है। वर्तमान समय में प्रार्थिनी टैगोर पब्लिक स्कूल 179–ए, अतरसुइया, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) 211003 में वरिष्ठ अध्यापिका (ENGLISH) (P.G.T) के पद पर सेवारत है, जहां से उन्हें वर्तमान समय में लगभग 45,000/–रूपया प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा है।

12. उल्लेखनीय है कि विपक्षी को अपनी पत्नी व पुत्री का भरण पोषण का दायित्व बनता है, परन्तु प्रार्थिनी द्वारा अपनी आय के सम्बन्ध में अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी/अपीलकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि वर्तमान समय में प्रार्थिनी टैगोर पब्लिक स्कूल 179–ए, अतरसुइया, जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) 211003 में वरिष्ठ अध्यापिका (ENGLISH) (P.G.T) के पद पर सेवारत है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी अपना भरण–पोषण करने में समक्ष है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधि व्यवस्था रजनेश बनाम नेहा (अपराधिक अपील संख्या 730/2020) में यह अवधारित किया गया है कि, "where successive claims for maintenance are made by a party under different statutes, the Court would consider un adjustment or setoff, of the amount awarded in the previous proceeding/s, while determining whether any further amount is to be awarded in the subsequent proceeding. उपर्युक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा अधिनियम और दं०प्र०सं० की धारा 125, दोनों के तहत ही रख–रखाव मांगने पर कोई रोक नहीं है, परन्तु पति को प्रत्येक कार्यवाही के तहत रख–रखाव का भुगतान करने के लिए निर्देशित करना उचित नहीं होगा, इसलिए पहली कार्यवाही के दौरान रख–रखाव का भुगतान करने का निर्देश दिए जाने के बाद दूसरी कार्यवाही में रख–रखाव की राशि का निर्धारण करते समय न्यायालय को पहली कार्यवाही के दौरान दिए गए रख–रखाव की राशि को ध्यान में रखना होगा और उसी अनुसार रख–रखाव की राशि का निर्धारण करना होगा।

13. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अवर न्यायलय द्वारा आदेश में यह उल्लिखित किया

गया है कि प्रार्थिनी विपक्षी/अपीलकर्ता राहुल सिंह की विवाहित पत्नी है। वर्तमान समय में प्रार्थिनी व उसकी पुत्री विपक्षी से अलग रह रही है और उसकी आाय का स्वतंत्र साधन विपक्षी द्वारा बताया गया है। अवर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि वादिनी स्वयं का भरण–पोषण कर पाने में पूर्णतया सक्षम है परन्तु विपक्षी/अपीलकर्ता का अपनी पुत्री का भरण पोषण का दायित्व बनता है। इस प्रकार अवर न्यायालय द्वारा जो प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरिम भरण पोषण आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी/अपीलकर्ता राहुल सिंह को आदेशित किया गया है कि कि वह आवेदिका की पुत्री रक्षिता सिंह की पढ़ाई व परिवरिश हेतु अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तिथि 17.09.2016 से प्रत्येक माह की दस तारीख को उसके बालिग होने तक 4,000/– रू० देना सुनिश्चित करे, वह उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होता है।

14. उपरोक्त समस्त विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस मत की है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य व अभिलेखीय साक्ष्य का संलग्न रूप से परिशीलन करके विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 पुष्ट किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांकित 07.11.2023 पुष्ट किया जाता है। मूल पत्रावली नियमानुसार अवर न्यायालय प्रेषित की जाए।

दाण्डिक अपील पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 03.08.2026

(रामकिशोर III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर 1, फतेहपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 03.08.2026

(रामकिशोर III)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर 1, फतेहपुर।